(10)

अनुसूची 14— फारम सं. 562

आदेश—पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख...तक

जिला.............मधुबनी..........................संख्या—................. 27.........................सन्   2014—15

केश का प्रकार ....बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा—9 के अंतर्गत जमाबंदी रद्दीकरण

अर्जीकार— **युगेश्वर झा**   प्रतिपक्षीः—   **जीव नारायण झा** एवं [illegible]

आदेष का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
01.9.18	प्रस्तुत वाद भूमि सुधार उप समाहर्ता, झंझारपुर द्वारा संधारित अभिलेख संख्या—1 / 14—15 में की गयी अनुशंसा के आधार पर बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा—9 के अंतर्गत वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुये उभय पक्षों को सूचना देते हुये पक्ष प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, झंझारपुर ने अपने न्यायालय में संधारित भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या—03 / 2013 धारा—(4एच) विविध वादसंख्या—01 / 2014—15 में दिनांक—17.12.2014 को पारित आदेश में तथ्यों का उल्लेख करते हुये लिखा है कि प्रश्नगत खेसरा नं0 1076 से हाल सर्वे में नया खेसरा 1737, 1740, 1742, 1743 रैयती खाता बना है तथा खेसरा नं. 1738 किस्म पोखरा 01 एकड़ 13 डिसमल अनाबाद बिहार सरकार के नाम से बना है। जिसके विरूद्ध प्रतिवादी द्वारा बी0टी0एक्ट की धारा—106 के तहत वाद संख्या—2304 / 08 दाखिल किया गया है, जो लंबित है। न्यायालय अपर समाहर्ता, दरभंगा द्वारा पारित आदेश का लगभग 44 वर्ष बीत चुका है मूल अभिलेख भी अप्राप्त है तथा जिस जमाबंदी संख्या—175 को रद्द किया गया था, वह जमाबंदी वर्तमान में नहीं है। जमाबंदी संख्या—175 खारिज होकर जमाबंदी संख्या—56 एवं 59 बन गया हैं। भूमि सुधार उप समाहर्ता ने उक्त वाद अभिलेख को अग्रसारित करते हुये बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम की धारा—09(1) के तहत सुनवाई कर उचित निर्णय लिये जाने की अनुशंसा की। निम्न न्यायालय ने अपने आदेशफलक में आवेदक के कथन में लिखा है कि पोखरा के पश्चिम भिण्डा पर श्री मुरली मनोहर भगवान जी की मंदिर जमींदारी समय से अवस्थित है। समस्त ग्रामीण लोग पोखरा को अपने उपयोग में लाते हैं। उभय पक्षों की ओर से वकालतन पैरवी की गयी एवं साक्ष्यों के साथ अपना अपना पक्ष रखा गया एवं लिखित बहस प्रस्तुत किया गया। आवेदक की ओर से युगेश्वर झा एवं प्रतिपक्षी की ओर से 1—जगनारायण झा पे. सुकमार झा 2—अभिराम झा पे. मुरली झा वो 3— दिलीप कुमार झा पे. बलराम झा 4— जीव नारायण झा पे0 स्व0 मुरली झा साकिन— बाथ थाना—मधेपुर संयुक्त वकालतनामा के साथ वकालतन पैरवी की गयी। **विपक्षी जीवनारायण झा वगैरह विपक्षीगण सभी ग्राम—बाथ थाना—मधेपुर की ओर से कारण पृच्छा समर्पित किया जिसके मुख्य अंश में लिखा है किः—** 1— इस वाद में सरकारी अधिवक्ता से कोई पक्ष प्राप्त नहीं कर उनके दुश्मनों के द्वारा नियुक्त अधिवक्ता की सुनवाई की गयी जो उचित नहीं है। 2— अपर समाहर्ता, दरभंगा द्वारा दिनांक—17.01.1969 को कोई आदेश पारित नहीं हुआ और न ही उससे संबंधित किसी वाद में विपक्षी के खानदान को नोटिस निर्गत हुआ। अपर समाहर्ता दरभंगा का आदेश बिल्कुल जालसाजी के तौर पर आवेदक की	

ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है जिसका असलियत से कोई सरोकार नहीं है।
3– प्रश्नगत जमीन प्रार्थी की खानदान की रैयती जमीन है तथा बिहार सरकार को मालगुजारी अदा की जा रही है।
4– मौजा–बाथ थाना–मधेपुर के प्रश्नगत खाता–375 पुराना खेसरा नं. 1076 रकवा 1 बीघा 18 कट्ठा 19 धूर साथ अन्य जमीन के भूतपूर्व जमींदार बलदेव झा वगैरह मौजे सरसो अटोरापाही की तौजी नं. 52 सी 15 बी हकीयत मिलकीयत लाखराज रहता आया वो प्रश्नगत खेसरा 1076 रकवा 1 बीघा 18 कट्ठा 19 धूर गैर मजरूआ खास पोखर बकास्त मालिक रहता आया जिसपर भूतपूर्व जमींदार बलदेव झा वगैरह साथ हकीयत दखलकार रहते आये।
5– प्रथम एडीसनल जज दरभंगा के न्यायालय में बटवारा मुकदमा संख्या–21/1936 में भूतपूर्व जमींदार बलदेव झा वगैरह के बीच हुआ जिसमें प्रश्नगत खेसरा भी सन्निहित है आदेशानुसार उक्त भूमि बलदेव झा के दखल में आया जिन्हें पैसे की आवश्यकता हुयी जिसके आधार पर प्रश्नगत भूमि साथ अन्य भूमि को 1939 ई में रमेश झा को बंदोवस्त कर दिया। प्रश्नगत भूमि रमेश झा के नाम से दाखिल खारिज होकर जमाबंदी कायम होकर रसीद निर्गत होते आया।
6– जमींदारी उन्मूलन के बाद से उक्त रैयती भूमि का लगान बिहार सरकार को रैयत द्वारा अदा करते आये। उपरोक्त ट्रान्जेक्शन 1.1.46 के पूर्व का है इसलिए विविध वाद नहीं चलाया जा सकता।
7– प्रश्नगत भूमि रमेश झा द्वारा विपक्षी को निबंधित केवाला के माध्यम से हस्तान्तरित किया जिसपर विपक्षीगण हकीयत दखलकार हैं जिसका जमाबंदी संख्या–56, 59 अंचल अमला द्वारा कायम किया गया जिसका अद्यतन मालगुजारी अदा किया जा रहा है।
8– खेसरा संख्या–1738 का हाल सर्वे खतियान अनाबाद बिहार सरकार दर्ज कर दिया गया जिसके विरूद्ध दफा 106 बी0टी0एक्ट के अंतर्गत हकीयत मुकदमा संख्या–2304/08 भू–बंदोवस्त पदाधिकारी, दरभंगा के न्यायालय में विचाराधीन लंबित है।
9– अंचल अमला ने भी पूरे जॉच पड़ताल के बाद प्रश्नगत जमीन पर विपक्षीगण का दखल कब्जा पाकर अपना प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जिससे स्पष्ट होगा कि 01.01.1946 से बहुत पूर्व से ही भूतपूर्व जमींदार के समय से ही न्यायालय द्वारा डिकी प्राप्त कर प्रश्नगत भूमि रैयती हो गयी जिसका लगान बिहार सरकार को अदा किया जा रहा है। अतः इस मुकदमा को समाप्त किया जाय।

<u>आवेदक की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस का मुख्य अंशः–</u>

1– प्रश्नगत भूमि भूतपूर्व जमींदार का रहता आया। जमींदारी उन्मूलन के बाद वह पोखरा बिहार सरकार में भेस्ट कर गया जिसका उपयोग एवं उपभोग आम जनता करते चले आ रहे हैं जिसे विपक्षीगण हड़पना चाह रहे हैं जिसके विरूद्ध जिबछ झा वगैरह ने अपर समाहर्ता, दरभंगा को आवेदन दिया।
2– अपर समाहर्ता, दरभंगा के न्यायालय में जमाबंदी रद्दीकरण वाद 58/67–68 संचालित हुआ जिसमें अंचल अधिकारी, मधेपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर उक्त पोखरा से संबंधित जमाबंदी नं. 175 को रद्द कर पोखरा को सैरात में दर्ज करने का आदेश दिया गया जिसपर अंचल अधिकारी ने सैरात लिपिक को प्रश्नगत भूमि को सैरात पंजी में दर्ज कर इसकी बंदोवस्ती का निर्देश दिया किन्तु उसका अनुपालन अबतक नहीं हुआ।
3– प्रश्नगत भूमि का रिविजनल सर्वे खतियान बिहार सरकार के नाम से बना हुआ है। उक्त पोखरा से विपक्षीगण को कोई सरोकार नहीं है। इसकी जमाबंदी वर्ष 1969 में ही तत्कालीन अपर समाहर्ता, दरभंगा द्वारा रद्द किया जा चुका है दुबारा

(17)

जमाबंदी रद्द करने का कोई औचित्य नहीं है। लगभग 48 वर्ष बीत जाने के बाद भी पारित आदेश का अनुपालन नहीं कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है। न्याय हित एवं आम जनता के हित में खेसरा नं. 1076 में अवस्थित पोखरा को सैरात पंजी में दर्ज कर इसकी बंदोवस्ती की कार्रवाई आवश्यक है।

1– आवेदक के उपरोक्त लिखित कथन का विपक्षी ने अपने प्रत्युत्तर में लिखा है कि प्रश्नगत भूमि पोखरा वकास्त मालिक भूतपूर्व जमींदार का था जिसको भूतपूर्व जमींदार वो उसके वारिशान के द्वारा प्रार्थी विपक्षीगण को बंदोवस्ती एवं रजिस्ट्री केवाला के द्वारा हस्तान्तरित कर दिया जिस पर 12 वर्ष पूर्व से कब्जा चला आ रहा है। पूर्व जमाबंदी नं. 175 की जमीन खारिज होकर दुसरे जमाबंदी में दाखिल कर अलग अलग जमाबंदी कायम हो गया एवं जमाबंदी नं. 175 स्वतः समाप्त हो गया।

2– माननीय उच्च न्यायालय पटना ने अपने कतिपय आदेश जिसमें 2017(1) पी0एल0जे0आर0पेज नं0 818 में यह स्पष्ट आदेश पारित किया है कि पुराने अंकित जमाबंदी जो केवाला वगैरह के बुनियाद पर कायम किया गया है उसको रद्द करने का अधिकार कार्यपालक पदाधिकारी को नहीं है उसके लिए सक्षम न्यायालय न्यायपालिका है। एग्रीभ्ड पक्ष को सक्षम न्यायालय में वाद दायर करना होगा।

3– जमींदारी उन्मूलन के बाद से अभी तक वादी युगेश्वर झा को छोड़कर कोई भी आम पब्लिक या व्यक्ति या सरकार द्वारा इस जमीन के जमाबंदी खारिज करने या पोखरा को सैरात पंजी में दर्ज कराने हेतु कभी कोई आवेदन किसी अधिकारी या सक्षम न्यायालय में नहीं दिया। आवेदक युगेश्वर झा किस हैसियत से यह वाद आवेदन देकर 1967 में वाद शुरू करवाया इसका कोई जिक्र नहीं है।

आवेदक युगेश्वर झा नाहक में विपक्षीगण को तंग वो तवाह करते आ रहे हैं अतः संपूर्ण वाद को खारिज किया जाय।

आवेदक की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में पुनः उसी बातों को दोहराते हुये लिखा है कि प्रश्नगत पोखरा भूतपूर्व जमींदार की थी जो जमींदारी उन्मूलन के बाद बिहार सरकार में भेस्ट हो गयी जो आम जन के उपयोग में है जिसे प्रतिपक्षीगण कब्जा करना चाहते हैं। तत्कालीन अपर समाहर्ता,दरभंगा द्वारा अंचल अधिकारी मधेपुर से प्राप्त प्रतिवेदन पर सहमति देते हुये वर्ष 1968 में ही उक्त जमाबंदी को रद्द करते हुये सरकारी सैरात में दर्ज करने का आदेश दिया जा चुका है। इस परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार को भी आवेदन दिया गया जो जिला पदाधिकारी को निदेश के साथ प्राप्त हुआ जिसे भूमि सुधार उप समाहर्ता को उचित कार्रवाई हेतु भेजी गयी जिस पर भूमि सुधार उप समाहर्ता झंझारपुर ने सुनवाई कर वाद अभिलेख को इस न्यायालय में अग्रसारित किया गया।रिविजनल सर्वे खतियान में भी प्रश्नगत भूमि का किस्म अनाबाद बिहार सरकार दर्ज है जो स्पष्ट करता है कि यह बिहार सरकार की आम उपयोग की भूमि है। चूँकि वर्ष 1968 में ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा उक्त जमाबंदी को रद्द किया जा चुका है इसलिए पुनः जमाबंदी रद्दीकरण का प्रस्ताव इस न्यायालय में आना उचित नहीं था केवल उस आदेश का पालन करना था जो अबतक नहीं किया जा रहा है। आदेश का अनुपालन करते हुये उक्त पोखरा को सैरात पंजी में दर्ज कराते हुये विधिवत् उसकी बंदोवस्ती की कार्रवाई की जाय तथा उक्त अनाबाद बिहार सरकार की भूमि का यदि लगान रसीद कटती हो तो उसे तुरत स्थगित कराया जाय।

प्रतिपक्षी की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस का मुख्य अंश निम्नवत् हैः–

1– मौजा बाथ थाना–मधेपुर का पुराना खेसरा संख्या–1076 कुल रकवा 1 बीघा 18 कट्ठा 19 धूर भूतपूर्व जमींदार की गैरमजरूआ खास पोखरा है तथा भूतपूर्व जमींदार के परिवार में बटवारा के द्वारा सबजज दरभंगा के न्यायालय से सभी जमीन का बटवारा हो गया तथा खेसरा नं. 1076 एवं अन्य जमीन बलदेव झा के हिस्से में दी

(13)

गयी। वर्ष 1934 के विनाशकारी भूकम्प में उपरोक्त पोखरा का भरण हो गया तथा पोखरा के रूप में उसका उपयोग समाप्त हो गया तथा बलदेव झा ने 1939 ई. में खेसरा संख्या–1076 का कुल रकवा एवं अन्य जमीन रमेश झा पेसर जयदेव झा को बंदोवस्त कर दिया। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् रमेश झा के नाम से रिटर्न दाखिल किया गया जिसके आधार पर रमेश झा के नाम से जमाबंदी नं. 175 अंचल से कायम हुआ। विपक्षीगण के खानदान को खेसरा संख्या–1076 में कुल 1 बीघा 18 कट्ठा 3 धूर प्राप्त हुआ जिसमें से 1 बीघा 17 कट्ठा 3 धूर के निस्वत मुरली झा एवं उनके भाईयों के नाम से जमाबंदी नं. 56 कायम हुआ तथा 1 कट्ठा का जमाबंदी नं. 59 जीव नारायण झा के नाम से कायम हुआ। हाल सर्वे खतियान खेसरा नं. 1738 बना परन्तु सर्वे अमला की गलती से खेसरा नं. 1738 का खतियान बिहार सरकार के नाम से दर्ज हो गया तथा पुराना खेसरा नं. 1076 का बांकी अंश हाल खेसरा नं. 1742, 1743, 1744 बना जिस पर विपक्षीगण का घर है। नया खेसरा संख्या–1738 विपक्षीगण के कब्जा में खरीदगी के दिन से ही चला आ रहा है तथा गलत खतियान इन्द्राज के विरूद्ध हकीयत वाद दायर करने हेतु 80 सी0पी0सी0का नोटिस समाहर्ता, अपर समाहर्ता, अंचल अधिकारी को दिया 60 दिन बीत जाने के पश्चात् व्यवहार न्यायालय में मुकदमा दायर की जायेगी। जमाबंदी नं. 175 में से खरीदार के जमाबंदी नं. 56 वो 59 कामय हो चुका है। गैर मजरूआ खास भूमि बंदोवस्त करने का पूर्ण हक जमींदार को रहते आया। यदि कोई गैर मजरूआ आम जमीन की प्रकृति में बदलाव हो जाता है वैसी गैर मजरूआ आम जमीन को भी बंदोवस्त करने का अधिकार भूतपूर्व मालिक को रहता आया। खतियान में गलत इन्द्राज हो जाने से किसी का हक प्रभावित नहीं हो सकता है जैसा कि माननीय पटना उच्च न्यायालय का मंतव्य है। खतियान प्रकाशित होने से बहुत पूर्व से ही जमाबंदी नं. 175 कायम रहता आया तथा खेसरा नं. 1076 जमींदारी उन्मूलन से पूर्व की रैयती भूमि हो गया। एक तरफ बिहार सरकार विपक्षीगण से लगान ले रही है दुसरे तरफ जिस जमीन का जमाबंदी जमींदार उन्मूलन के बाद से ही कायम है उस जमीन पर बिहार सरकार दावा कर रही है जो नहीं हो सकता है और न ही जमाबंदी को बिना दिवानी न्यायालय के आदेश के रद्द किया जा सकता है। इस संबंध में पी0एल0जे0आर0 2017 (1) पृष्ठ 818 उल्लेखनीय है। अतः प्रकिया को समाप्त की जाय।

निष्कर्षः–

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सूना, निम्न न्यायालय के अभिलेख में भूमि सुधार उप समाहर्ता, झंझारपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक–17.12.2014, उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस, प्रत्युत्तर का अवलोकन एवं परिसिलन किया। प्रतिपक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि प्रश्नगत भूमि रिविजनल सर्वे में गलती से सरकारी खाता में दर्ज कर दिया गया है जिसके विरूद्ध वे माननीय सिविल न्यायालय में इसके विरूद्ध हकीयत वाद दायर करने की प्रकिया में हैं जिसकी सूचना संबंधित पदाधिकारियों को दी गई। किन्तु हकीयत वाद संख्या इत्यादि कुछ भी नहीं दिया गया है। प्रतिपक्षी की ओर से कोई भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि रिविजनल सर्वे खतियान का संशोधन रैयत के पक्ष में हुआ हो। निम्न न्यायालय से प्रेषित अभिलेख में संलग्न हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन में लिखा गया है कि **प्रश्नगत भूमि मौजा–बाथ थाना नं. 208 खाता–375 खेसरा–1076 गैर मजरूआ खास खाता की है।** उक्त पोखरा बाथ गॉव के डीहवार बाबा की मंदिर से सटा पूरब एवं मुरली मनोहर भगवान की मंदिर से पश्चिम खरंजा सड़क के किनारे अवस्थित है।

(14)

सारे तथ्यों से स्पष्ट है कि मौजा–बाथ अंचल मधेपुर का पुराना खाता नं. 375 नया–823 पुराना खेसरा नं. 1076 नया–1738 रकवा एक एकड़ तेरह डिसमल किस्म–पोखरा रिविजनल सर्वे खतियान में अनाबाद बिहार सरकार के खाते की है बिहार सरकार के खाते की भूमि का रैयत के नाम जमाबंदी चलना गलत है। इसलिए सरकारी खाते की भूमि का रैयत के नाम पर सृजित जमाबंदी अवैध माना जायेगा। अतएव सरकार के खाते की भूमि का सृजित जमाबंदी को रद्द किया जाता है।

आदेश की प्रति अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी, मधेपुर एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता, झंझारपुर को भेजें।

आदेश से विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते हैं।

लेखापित

01.9.18

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।

01.9.18

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।